आनंद के. कुमारस्वामी भारतीय संस्कृति एवं भाषा का अंतरराष्ट्रीय संस्थान

Aanand K. Coomaraswamy International Institute of Indian Culture and Languages

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा- 442 001

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha- 442 001

प्रस्तावित

आनंद के. कुमारस्वामी भारतीय संस्कृति एवं भाषा का अंतरराष्ट्रीय संस्थान

(Aanand K. Coomaraswamy International Institute of Indian Culture and Languages)

प्रस्तावना :

भारत और भारतीय संस्कृति अभिन्न हैं। विश्व के देशों और वहाँ की जनता के बीच भारत की अनूठी छवि गहरे आकर्षण का विषय है। इसके प्रमुख आधारों में सबसे पहला भारतीय संस्कृति है। इसके अंतर्गत भारत की कला (संगीत, नृत्य, चित्र,मूर्त्ति, स्थापत्य), जीवन-पद्धति, योग, आयुर्वेद, दर्शन, व्याकरण, साहित्य आदि समस्त क्षेत्रों की उपलब्धियाँ शामिल हैं; क्योंकि संस्कृति किसी समुदाय द्वारा अर्जित समस्त उपलब्धियों के सत्त्व को आत्मसात कर ही आकार लेती है। भारत भौगोलिक विराटता और विविधता के साथ नाना प्रकार की विविधताओं का संपुंज है। इसके बावजूद उसने अनूठी सांस्कृतिक एकता विकसित और सिद्ध की है।

किसी भी देश और संस्कृति की अभिव्यक्ति की अपनी भाषा भी होती है। भारत में अनेक भाषाएँ हैं; इसीलिए उसने सदैव भाषायी विविधताओं के बीच से और उनके सहयोग से एक अखिल भारतीय भाषा विकसित की है। समूचे देश की संस्कृति अपनी संश्लिष्टता के साथ इसी भाषा में प्रमुखतः अभिव्यक्त होती रही है। लंबे समय तक यह भाषा संस्कृत रही है। जब कभी और जिन किन्हीं कारणों से एक देश-भाषा नहीं रही, तब-तब भारत की एकता बाधित हुई है। इसलिए राष्ट्रीय ऐक्य अर्थात् देश की एकता का प्रमुख और अनिवार्य आधार 'भाषा' भी है। भारत की स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने और उस ध्येय को हासिल करने में देश-भाषा के रूप में 'हिंदी' की भूमिका केंद्रीय रही है। इसी कारण आज वह भारत की 'राष्ट्र भाषा' और 'संपर्क भाषा' होने के साथ ही भारत संघ की 'राज भाषा' भी है, जिसके स्वरूप-विकास संबंधी दिशा-निर्देशक संकल्प भारत के संविधान के अनुच्छेद-351 में अभिव्यक्त हैं। तो, फ़िलहाल 'हिंदी' भारत और भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक प्रातिनिधिक रूप में व्यक्त करने वाली भारतीय और राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेज़ी या कोई और परायी भाषा भारत और भारतीय संस्कृति को, उसकी प्राणवत्ता के साथ, नहीं अभिव्यक्त कर सकती। इसलिए भारतीय संस्कृति और हिंदी का अध्ययन परस्पर संपृक्त है। इसी पृष्ठभूमि में 'आनंद के.कुमारस्वामी अंतरराष्ट्रीय भाषा एवं संस्कृति संस्थान' की स्थापना प्रस्तावित है।

स्थापना:

'आनंद के. कुमारस्वामी भारतीय संस्कृति एवं भाषा का अंतरराष्ट्रीय संस्थान' की स्थापना महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम-1996 की धारा 2(*l*) की परिभाषा के अनुसार तथा अधिनियम की धारा 5(*xiii*) द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के अधीन, एक स्वायत्त अकादमिक संस्थान के रूप में होगी।

नामकरण:

भारतीय कला, संस्कृति, साहित्य, धर्म और दर्शन के मर्मज्ञ तथा उसके अध्ययन को आजीवन समर्पित विद्वत्वरेण्य आनंद के. कुमारस्वामी *(Annexure-I)* के नाम पर संस्थान का नाम 'आनंद के. कुमारस्वामी अंतरराष्ट्रीय भाषा एवं संस्कृति संस्थान' होगा।

मुख्यालय:

संस्थान की स्थापना एवं मुख्यालय महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वर्धा स्थित मुख्य परिसर में होगी। विश्वविद्यालय द्वारा यथावश्यकता भारत और विदेशों में संस्थान के विशेष अध्ययन केंद्र, विहित प्रक्रिया द्वारा, स्थापित किये जा सकेंगे।

उद्देश्य:

यह संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित उद्देश्यों की अनुरूपता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा, साहित्य और भारतीय संस्कृति के प्रसार और स्थापना के लिए उपयुक्त अकादमिक गतिविधियों का संचालन एवं प्रबंधन करेगा।

कार्य:

संस्थान निम्नलिखित कार्यों का संपादन करेगा, जिसमें यथासमय संशोधन-परिवर्धन किया जा सकेगा-

1.शैक्षणिक कार्यक्रम :

निर्धारित अनुशासनों में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए सर्टिफ़िकेट, डिप्लोमा, डिग्री(एम.ए.,पी-एच.डी.आदि) स्तर के शिक्षण और शोध संबंधी विविध नियमित एवं दूर शिक्षा माध्यम से ऑनलाइन/ऑफ़लाइन कार्यक्रमों का संचालन।

2.अभिविन्यास/पुनश्चर्या/प्रशिक्षण कार्यक्रम:

संबद्ध अनुशासनों में अंतरराष्ट्रीय शिक्षकों/प्रशिक्षुओं के लिए अभिविन्यास/पुनश्चर्या/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन।

3.पाठ्यक्रम/पाठ्य-सामग्री निर्माण:

अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों/विश्वविद्यालयों के लिए बहुस्तरीय और स्तरित पाठ्यक्रमों और पाठ्य-सामग्री निर्माण।

4.भाषा-मूल्यांकन के मानदंडों का विकास:

हिंदी भाषा के अधिगम स्तरों के मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौम मानदंडों का विकास।

5. प्रसार कार्यक्रम:

हिंदी भाषा,साहित्य तथा भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले विद्वानों, समूहों, और संस्थाओं से संबंध-संपर्क और परस्पर सहयोग।

6. सहयोजन:

विदेशों में स्थित वे संस्थाएँ, जो विश्वविद्यालय के साथ सहयोजित होने की इच्छुक हैं, उन्हें विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 2(m) में परिभाषित संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करना तथा उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का प्रमाणीकरण एवं उपाधियाँ प्रदान करने हेतु विधिसम्मत व्यवस्था करना।

7. अनुबंध:

संबद्ध अनुशासनों में शैक्षणिक/अकादमिक प्रयोजनों के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अनुबंध करना तथा विद्यार्थियों/शोधार्थियों एवं संकाय सदस्यों का आदान-प्रदान।

8. केंद्रों की स्थापना:

विहित प्रक्रिया द्वारा भारत अथवा विदेशों में संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यथावश्यकता विशेष केंद्रों की स्थापना करना।

9. विशिष्ट अध्येताओं, अतिथि आचार्यों, विशेषज्ञों आदि की नियुक्ति:

पूर्व निश्चित अर्हताओं और विहित प्रक्रिया द्वारा संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विशिष्ट अध्येताओं, अतिथि आचार्यों ,विशेषज्ञों आदि की सावधिक नियुक्तियाँ करना।

10. अध्ययन पीठों एवं फ़ेलोशिप की स्थापना:

विशिष्ट प्रयोजनों हेतु अध्ययन पीठों एवं फ़ेलोशिप की स्थापना करना।

शक्तियाँ :

संस्थान का एक अध्यादेश होगा, जिसका निर्माण विश्वविद्यालय अधिनियम और परिनियम की संगति में विहित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। अध्यादेश में संस्थान की शक्तियों, सीमाओं और कर्तव्यों का विस्तृत विवरण होगा।

प्रशासन:

संस्थान की समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियों के प्रशासन के लिए एक निदेशक होगा, जो उसका अध्यक्ष होगा। निदेशक संस्थान के संचालन के लिए नियोजित तंत्र के माध्यम से उसका प्रशासन चलाएगा और उसके लिए उत्तरदायी होगा।

निदेशक का कार्यकाल 5वर्ष होगा और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

निदेशक पद पर नियुक्ति के समय अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। निदेशक पद पर कार्य करने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तक होगी।

निदेशक की नियुक्ति, अर्ह अभ्यर्थियों में से, परिनियम 19(2) के प्रावधानों के अनुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर, विहित प्रक्रिया द्वारा की जाएगी। प्रोफ़ेसर पदधारक और न्यूनतम पाँच वर्ष के अकादमिक प्रशासन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी संस्थान के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे। निदेशक पद संबंधी अर्हताओं,वेतन आदि तथा शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का विवरण संबंधित अध्यादेश में दिया जाएगा।

विहित प्रक्रिया द्वारा संस्थान के निदेशक की नियुक्ति होने तक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के निर्धारित अर्हताधारक प्रोफ़ेसर में से कुलपति द्वारा कार्य परिषद् के अनुमोदन से की जा सकेगी।

निदेशक का पद रिक्त होने अथवा उनके एक वर्ष से अनधिक अवकाश की दशा में, विहित प्रक्रिया द्वारा निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया होने अथवा कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि के लिए, कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के निर्धारित अर्हताधारक प्रोफ़ेसर में से कुलपति द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन से की जा सकेगी।

प्रबंधन:

संस्थान का एक प्रबंधन निकाय होगा, जिसे 'प्रबंधन मंडल'(Board of Management) कहा जाएगा। संस्थान का प्रबंधन और अनुशासन इसके अधीन होगा।

प्रबंधन मंडल का संघटन इस प्रकार होगा-

1.विश्वविद्यालय के कुलपति	:	अध्यक्ष
2.कार्य परिषद् द्वारा स्वयं में से नामित एक प्रतिनिधि	:	सदस्य
3.वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नामित एक अधिष्ठाता (Dean of School)	:	सदस्य
4.विद्या परिषद् द्वारा स्वयं में से नामित एक प्रतिनिधि	:	सदस्य
5. निदेशक द्वारा प्रस्तावित संस्थान की कार्य-प्रकृति से अभिज्ञ पाँच बाह्य विशेषज्ञों के पैनल से कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विशेषज्ञ	:	सदस्य
6. संस्थान के निदेशक	:	सदस्य-सचिव

प्रबंधन मंडल का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। पदेन सदस्यों का कार्यकाल उनकी पदावधि या तीन वर्ष तक,जो भी कम हो, के लिए होगा।

प्रबंध मंडल की बैठकें प्रत्येक अकादमिक वर्ष में कम-से-कम दो बार आयोजित होंगी।बैठक के लिए गणपूर्ति सात में से चार सदस्यों की होगी।

अध्ययन मंडल:

संस्थान की शैक्षणिक और शोध संबंधी गतिविधियों के निर्धारण, संचालन एवं नियमन के लिए एक अध्ययन मंडल (Board of Studies) होगा।अध्ययन मंडल का संघटन इस प्रकार होगा-

1.संस्थान के निदेशक	: अध्यक्ष
2.संस्थान के सभी प्रोफ़ेसर	: सदस्य
3.वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में संस्थान के एक-एक एसोशिएट एवं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर	: सदस्य
4.संस्थान के निदेशक द्वारा प्रस्तावित पाँच बाह्य विशेषज्ञों के पैनल से कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विशेषज्ञ	: सदस्य

अध्ययन मंडल के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष अथवा उनकी पदावधि, जो भी कम हो, के लिए होगा।

अध्ययन मंडल की बैठकें प्रत्येक अकादमिक वर्ष में कम-से-कम दो बार आयोजित होंगी। बैठक के लिए गणपूर्ति पाँच में से तीन सदस्यों की होगी।

भारत, भारतीय संस्कृति और कला गौरव के उद्गाता
(वैज्ञानिक, सौंदर्यशास्त्री और कला-चिंतक)

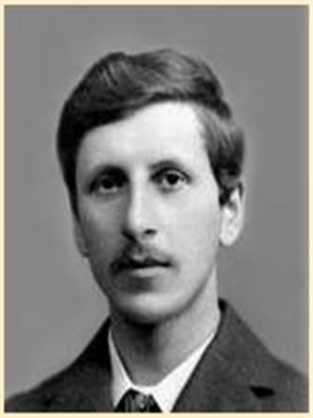

आनंद केंटिश कुमारस्वामी

(22 अगस्त, 1877 - 09 सितंबर, 1947)

- जन्म : कोलंबो, श्रीलंका ।
- श्रीलंका के तमिल मूल के बैरिस्टर सर मुतु कुमारस्वामी और उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिज़ाबेथ क्ले की इकलौती संतान।
- लंदन विश्वविद्यालय से भूगर्भशास्त्र और वनस्पतिशास्त्र में स्नातक । वहीं से भूगर्भ शस्त्र में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि।
- भारत सहित विश्व की 27 भाषाओं के जानकार।
- 'मिनरल सर्वे ऑफ सीलोन' के निदेशक (1903)।
- यूनाइटेड प्रोविंस एक्ज़िबिशन, इलाहाबाद (भारत) के प्रभारी (1910-11)।
- म्यूजियम ऑफ फ़ाइन आर्ट, बोस्टन में क्यूरेटर (1911)।
- इंडियन, पर्सियन एंड मोहम्डन म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स, बोस्टन में फ़ेलो।
- यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन में भी फ़ेलो।
- भंडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के मानद सदस्य।
- भारतीय संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा एवं 'देश भाषा' में राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के सूत्रधार।
- इंडिया सोसाइटी लंदन (1911) और इंडियन कल्चर सेंटर, न्यूयार्क (1924) की स्थापना।
- नेशनल कमिटी फ़ार इंडियाज फ्रीडम, वाशिंगटन के अध्यक्ष (1938)।

कला, धर्म और दर्शन संबंधी महत्वपूर्ण पुस्तकें*

- Essays in National Idealism
- Art And Swadeshi
- The Dance of Shiva
- Yakshas
- Vishvakarma
- The Transformation of Nature in Art
- Figures of Speech or Figures of Thought?
- The mirror of gesture
- Introduction To Indian Art
- History of Indian and Indonesian Art
- Christian and Oriental Philosophy of Art
- Time and Eternity
- Perception of the Vedas
- A New Approach to the Vedas
- Hinduism And Buddhism
- Spiritual Authority and Temporal Power in the Indian Theory of Government

विचार - मंजूषा

- समूची भारतीय संस्कृति में 'भारत' का विचार 'मातृभूमि' के अर्थ में इतना सहज रूप में परिव्याप्त है कि इस संबंध में अलग से बल देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती; कोई भी व्यक्ति इसे किसी और रूप में परिकल्पित कर ही नहीं सकता।

- राष्ट्रों का निर्माण कलाकार और कवि करते हैं, व्यापारी और राजनेता नहीं। कला में जीवन के गहनतम सिद्धांत अंतर्व्याप्त होते हैं।

- हर कलाकार सौंदर्य का आविष्कार करता है और हर आस्वादक अपने अनुभव में उस सौंदर्य का पुनराविष्कार करता है।

- कला और धर्म में बहुत गहरा रिश्ता है, जिसे समझने में अकसर चूक होती है। कला और धर्म के संबंध में यह बात हमारी दृष्टि से प्रायः ओझल हो जाती है कि इन दोनों का आपसी रिश्ता निसर्गजन्य है।

- विश्व के राष्ट्रों में भारत के पुनः गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए हमें भारतीय मनीषा का विकास भारतीय संस्कृति के माध्यम से और उसकी नींव पर करना होगा। केवल भौतिक उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धा से उसका विकास नहीं होगा; बल्कि उसे एक सच्ची सभ्यता का शिक्षक तथा अतीत की तरह ही भविष्य का निर्देशक भी होना होगा। इस क्षेत्र में साधारण अंग्रेजी शिक्षक बहुत कम मददगार है; हाँ, वह बड़े अवरोध ज़रूर खड़े कर सकता है।

- कोई समाज सच्चे अर्थों में सभ्य तभी कहा जा सकता है, जब कि उसका हर एक सदस्य अपनी जीविका अपने श्रम से अर्जित करता हो; न कि किसी अन्यथा तरीके से।

- गांधी, अपनी सभी त्रुटियों के साथ भी, युगपुरुष थे। वे महान् इसलिए थे, क्योंकि उन्होंने एक हिंसक समय में अहिंसा की चुनौती पेश की; वे इसलिए भी महान् थे कि एक क्षयशील और मनुष्यता के ध्वंस वाले समय में वे शांति और बंधुता की बात कर रहे थे। वे मनुष्यता की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति थे। हमारे जैसे सीमित दृष्टि वाले लोग उनका अनुकरण करने में असमर्थ हैं, किंतु हम स्वयं को उनके प्रशस्ति-वाचन से रोक नहीं सकते; बल्कि पूजा करने के लिए अवश हैं।

- यह मेरा 70वाँ जन्मदिवस है और यह आप सबको अलविदा कहने का अवसर है, क्योंकि मैंने और मेरी पत्नी ने योजना बनायी है कि हम अगले वर्ष सेवानिवृत्त होने पर भारत लौट जाएँगे। हमारी सोच में यह 'घरवापसी' होगी। वहाँ हम अपने पुत्र राम के साथ रहेंगे। ... राम गुरुकुल काँगड़ी में पं. वागीश्वर जी से संस्कृत और हिंदी सीख रहे हैं, जिनसे 12 वर्ष पहले मेरी पत्नी ने भी शिक्षा ली थी। हमारी लालसा आगे शेष जीवन-भर भारत में ही रहने की है, जो अब एक स्वाधीन देश है।

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

नैक (NACC) द्वारा 'A' ग्रेड प्रदत्त

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक- 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा - 442 001 (महाराष्ट्र) भारत

दूरभाष : +91 – 7152 – 247124 वेबसाइट : www.hindivishwa.org